न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1181/2024

अनवान : –

1. मांगीलाल पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. दयाराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 109/104 की कुल 13.4600 हैक्ट भूमि जैसाराम पुत्र श्यामाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जैसाराम पुत्र श्यामाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। वादी के दादा जैसाराम का देहांत हो चुका है। वादी का दादा जैसाराम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहता था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ही जैसाराम की सेवा करते थे। जैसाराम ने दिनांक 12.06.2019 को रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 109/104 के ख0न0 389 की 1.8974हैक्ट, ख00न0 389/2 की 0.8096 हैक्ट, ख0न0 526 की 3.0990 हैक्ट, ख0न0 9 की 4.4910 हैक्ट कुल 10.297 हैक्ट भूमि की अपने पौत्रो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बहिब उप पजीयक खुईया से रजिस्टर्ड वसीयत दो गवाहन अमरसिंह पुत्र श्री राजुराम व बीरबल पुत्र हजारी के समक्ष करवाई थी। मुताबिक वसीयत के जैसाराम के देहान्त के बाद उक्त वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश कि[illegible] है।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वा[illegible] करते हुए इक[illegible] पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 पे[illegible]र राज ने जवाब पे[illegible] जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य चित्रप्रति रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वसीयतनामा दिनांक 12.06.2019, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसाराम तथा वसीयत के गवाहान श्री अमरसिंह पुत्र श्री राजूराम जाति जाट निवासी खुंईया व बीरबल राम पुत्र श्री हजारी राम जाति जाट निवासी मालिया ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जैसाराम पुत्र श्यामाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। वादी के दादा जैसाराम का देहांत हो चुका है। वादी का दादा जैसाराम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहता था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ही जैसाराम की सेवा करते थे। जैसाराम ने दिनांक 12.06.2019 को रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 109/104 के ख0न0 389 की 1.8974हैक्ट, ख00न0 389/2 की 0.8096 हैक्ट, ख0न0 526 की 3.0990 हैक्ट, ख0न0 9 की 4.4910 हैक्ट कुल 10.297 हैक्ट भूमि की अपने पौत्रो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बहिब उप पजीयक खुईया से रजिस्टर्ड वसीयत दो गवाहन अमरसिंह पुत्र श्री राजुराम व बीरबल पुत्र हजारी के समक्ष करवाई थी। मुताबिक वसीयत के जैसाराम के देहान्त के बाद उक्त वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 109/104 की कुल 13.4600 हैक्ट भूमि जैसाराम पुत्र श्यामाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार जैसाराम का देहान्त हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि की वसीयत जैसाराम ने दिनांक 12.06.2019 को रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 109/104 के ख0न0 389 की 1.8974हैक्ट, ख00न0 389/2 की 0.8096 हैक्ट, ख0न0 526 की 3.0990 हैक्ट, ख0न0 9 की 4.4910 हैक्ट कुल 10.297 हैक्ट भूमि की अपने पौत्रो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बहिब उप पजीयक खुईया से रजिस्टर्ड वसीयत दो गवाहन अमरसिंह पुत्र श्री राजुराम व बीरबल पुत्र हजारी के समक्ष करवाई थी। वसीयत के गवाहान श्री अमरसिंह पुत्र श्री राजूराम जाति जाट निवासी खुंईया व बीरबल राम पुत्र श्री हजारी राम जाति जाट निवासी मालिया ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत हनुमान ने वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में तस्दीक करवाई थी उक्त वाद भूमि के संबंध में कोई वाद विवाद नही है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 109/104 के ख0न0 389 की 1.8974हैक्ट, ख00न0 389/2 की 0.8096 हैक्ट, ख0न0 526 की 3.0990 हैक्ट, ख0न0 9 की 4.4910 हैक्ट कुल 10.297 हैक्ट भूमि में जैसाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1181 / 2024

अनवान : –

1. मांगीलाल पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. दयाराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1181 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 109 / 104 के ख0न0 389 की 1.8974हैक्ट, ख00न0 389 / 2 की 0.8096 हैक्ट, ख0न0 526 की 3.0990 हैक्ट, ख0न0 9 की 4.4910 हैक्ट कुल 10.297 हैक्ट भूमि में जैसाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:53 IST
Reason: SelfAttested